न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 147/ 2019

परमजीत सिंह उर्फ रघुवीर सिंह जाति तरखान निवासी हाकमाबाद तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू– राजस्व अधिनियम

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण :–

1 श्री राकेश सिहाग अधिवक्ता (प्रार्थी)

2 राजपैरोकार वास्ते स्टेट

निर्णय दिनांक : 01.01.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी का नाम परमजीत सिंह है जो कि सही नाम है व प्रार्थी के आवश्यक दस्तावेजात में भी प्रार्थी का नाम परमजीत सिंह अंकित है परन्तु जमाबंदी चक 1 बी जी एस खाता संख्या 34/29 में प्रार्थी का नाम रघुवीर सिंह अंकित है जिससे प्रार्थी को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है।प्रार्थी की कृषि भूमि चक 1 बी जी एस जमाबदी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 34/29 मु.न. 15 में 1.771 है., मु.न.22 में 6.325 है., मु.न. 23 में 5.060 है., मु.न. 24 में 2.783 है., मु.न. 25 में 5.313 है., मु.न. 26 में 6.325 है., मु.न. 27 में 4.048 है., मु.न. 35 में 2.530 है., मु.न. 36 में 2.530 है. कुल खाता 36.685 है. आराजी में प्रार्थी के नाम अपने भाई सुखजीत सिंह के साथ ब.हि.ब. 8 हिस्सा यानि 8 बीघा आराजी दर्ज कागजात है । उक्त आराजी में प्रार्थी का नाम रघुवीर सिंह पुत्र दलीप सिंह दर्ज है जबकि सही नाम परमजीत सिंह पुत्र दलीप सिंह दर्ज होना चाहिये नकल जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र है।प्रार्थी के दस्तावेजात मे प्रार्थी का नाम परमजीत सिंह पुत्र दलीप सिंह ही दर्ज है जबकि जमाबंदी में प्रार्थी के नाम गलत दर्ज हो गये है जबकि प्रार्थी एक ही व्यक्ति है। रघुवीर सिंह व परमवीर सिंह अलग अलग व्यक्ति नही है इस सम्बध मे ग्राम पंचायत की रिपोर्ट पेश की जा रही है। ग्राम पंचायत हाकमाबाद द्वारा प्रार्थी का नाम परमजीतसिंह होने के सम्बध में प्रमाण पत्र जारी किया गया है । प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड मे भी प्रार्थी का नाम परमजीतसिंह दर्ज है। फोटो प्रति प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत हाकमाबाद, आधार कार्ड,, वोटर कार्ड संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड मे रघुवीर सिंह पुत्र दलीप सिंह अलग दर्ज रहने के कारण प्रार्थी को पानी की बारी , रकम अदायगी, बैंक ऋण, व अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने मे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए प्रार्थी अपने नाम दर्ज चक 1 बी जी एस जमाबदी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 34/29 मु.न. 15 में 1.771 है., मु.न.22 में 6.325 है., मु.न. 23 में 5.060 है., मु.न. 24 में 2.783 है., मु.न. 25 में 5.313 है., मु.न. 26 में 6.325 है., मु.न. 27 में 4.048 है., मु.न. 35 में 2.530 है., मु.न. 36 में 2.530 है. कुल खाता 36.685 है. आराजी में प्रार्थी के नाम अपने भाई सुखजीत सिंह के साथ ब.हि.ब. 8 हिस्सा यानि 8 बीघा में प्रार्थी का नाम "रघुवीर सिंह पुत्र दलीप सिह " के स्थान पर " परमवीर सिंह पुत्र दलीप सिंह " दर्ज करवाने का कानूनन हक अधिकारी है। जिसे न्यायहित में दरूस्त किया जाना आवश्यक है। वगैरा–वगैरा।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

लिहाजा प्रार्थना पत्र अ. धारा 136 एल आर एक्ट पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के नाम दर्ज चक 1 बी जी एस जमाबदी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 34/29 मु.न. 15 में 1.771 है., मु.न.22 में 6.325 है., मु.न. 23 में 5.060 है., मु.न. 24 में 2.783 है., मु.न. 25 में 5.313 है., मु.न. 26 में 6.325 है., मु.न. 27 में 4.048 है., मु.न. 35 में 2.530 है., मु.न. 36 में 2.530 है. कुल खाता 36.685 है. आराजी में प्रार्थी के नाम अपने भाई सुखजीत सिंह के साथ दर्ज ब.हि.ब. 8 हिस्सा यानि 8 बीघा आराजी में प्रार्थी का नाम ''रघुवीर सिंह पुत्र दलीप सिंह जाति तरखान निवासी हाकमाबाद '' के स्थान पर '' परमजीत सिंह पुत्र दलीप सिंह जाति तरखान निवासी हाकमाबाद '' दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी से रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट पेश हुयी।

बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के नाम दर्ज आराजी प्रार्थी के नाम से विरासतन दर्ज हुयी है व प्रार्थी के नाम अलग रखे जाने के सम्बध में पटवारी हल्का द्वारा पेश रिपोर्ट में भी अंकन है कि प्रार्थी का प्रचलित नाम व रिकॉर्ड में नाम भिन्न भिन्न है। प्राप्त रिपोर्ट पर मौतबिरान व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किये है एव प्रार्थी के नाम के सम्बध में ग्राम पंचायत द्वारा भी अपनी रिपोर्ट पेश की है, जो कि प्रार्थी व प्रार्थी के भाई के नाम राजस्व रिकॉर्ड में आराजी ब.हि.ब. दर्ज है, जिसके सम्बध में कोई विरोध नही है। उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाता है एव तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि:– चक 1 बी जी एस जमाबदी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 34/29 मु.न. 15 में 1.771 है., मु.न.22 में 6.325 है., मु.न. 23 में 5.060 है., मु.न. 24 में 2.783 है., मु.न. 25 में 5.313 है., मु.न. 26 में 6.325 है., मु.न. 27 में 4.048 है., मु.न. 35 में 2.530 है., मु.न. 36 में 2.530 है. कुल खाता 36.685 है. आराजी में प्रार्थी के नाम अपने भाई सुखजीत सिंह के साथ दर्ज ब.हि.ब. 8 हिस्सा यानि 8 बीघा आराजी में प्रार्थी का नाम ''रघुवीर सिंह पुत्र दलीप सिंह जाति तरखान निवासी हाकमाबाद '' के स्थान पर '' परमजीत सिंह पुत्र दलीप सिंह जाति तरखान निवासी हाकमाबाद '' दर्ज किया जावे। तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेश की पालना हेतु पत्र जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 01.01.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

01.01.2020

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2020.01.28 16:13:49 IST
Reason: SelfAttested
Location: